( राज मोहन सिंह, जे.)

राज मोहन सिंह से पहले**,** जे**.**

परमजीत सिंह सहोली-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादीओं का 2022 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 3008

07 अप्रैल, 2022

भारतीय दंड संहिता **1860-S.376** और **506-**हरियाणा अच्छा आचरण कैदी **(**अस्थायी रिहाई**)** संशोधन अधिनियम**, 2013-**एस**. 2 (**ए**.** ए**.)-**पैरोल और फर्लो के लिए सिद्धांत-विशेष रूप से पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फर्लो देने के आदेश को चुनौती दी गई थी-फर्लो केवल दीर्घकालिक कारावास के मामलों में दी जाएगी यानी उन मामलों में जहां सजा **4** साल से कम नहीं है-पहला फर्लो **21** दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद**,** अधिकतम **14** दिनों के लिए-फर्लो वर्ष में केवल एक बार दिया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य कारावास की एकरसता को तोड़ना है और फर्लो देने के लिए कोई विशिष्ट कारण देने की आवश्यकता नहीं याचिकाकर्ता **21** दिनों के लिए फर्लो दिया गया था और

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह भी तय किया गया प्रस्ताव है कि यदि दो संभावित और उचित निर्माणों को दंडात्मक प्रावधान पर रखा जा सकता है, तो न्यायालय को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए, जो दंड लगाने वाले के बजाय उस विषय को दंड से छूट देता है।सरल शब्दों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए।इस धारणा के रूप में आगे बढ़ना वैध नहीं होगा कि विधानमंडल ने गलती की है।न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधानमंडल ने जो कहा है उसका उद्देश्य क्या है।यहां तक कि विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए वाक्यांश में कुछ दोष होने की स्थिति में भी, न्यायालय विधानमंडल के दोषपूर्ण वाक्यांश में सहायता नहीं कर सकता है या जोड़ और संशोधन नहीं कर सकता है या निर्माण द्वारा कमी को पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि इस तरह के अधिनियम के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जाती है।

(पैरा 18)

इसके अलावा, दंडात्मक प्रावधानों के निर्माण का तय नियम यह है कि यदि कोई उचित व्याख्या है, जो किसी विशेष मामले में दंड से बच जाएगी, तो न्यायालय को निर्माण को अपनाना चाहिए और यदि दो उचित निर्माण हैं, तो न्यायालय को अधिक उदार एक देना चाहिए और यदि दो संभव और उचित निर्माणों को दंडात्मक प्रावधान पर रखा जा सकता है, तो न्यायालय को निर्माण की ओर झुकना चाहिए।

(पैरा 19) ने आगे कहा कि रिट याचिका के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से अनुरोध किया है कि उसे वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने का अधिस्थिति है।दलीलें इस हद तक वांछित हैं कि विधानसभा चुनाव कैसे और किस तरह से पूर्वाग्रही रहा है, विशेष रूप से जब गुरमीत राम रहीम को केवल गुरुग्राम में रहने का आदेश दिया गया है।

(पैरा 20) ने आगे कहा कि प्रतिवादी-राज्य ने हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2013 की खंड 2 (एए) के महत्व की सही व्याख्या की है। चूँकि याचिकाकर्ता ने बलात्कार के मामले में सजा की मुद्रा के दौरान बाद की सजाओं के लागू होने का ऐसा कोई आधार नहीं रखा है, इसलिए राज्य के लिए यह उचित होगा कि वह कानून के अनुसार आगे की छुट्टी/पैरोल, यदि कोई हो, के उद्देश्य से सभी दोषसिद्धि से उत्पन्न होने वाले सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार करे।

(पैरा 21)

गगन प्रदीप सिंह बल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

बलदेव राज महाजन, ए. जी., हरियाणा पवन गिरधर के साथ।, ए. जी., उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 से 7 के लिए हरियाणा।

मोनिका छिबर शर्मा, सीनियर डी. ए. जी., पंजाब उत्तरदाताओं के लिए संख्या 8 और 9 के लिए।

सत्यपाल जैन, एडिशनल।, वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज जैन के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल

भारत के प्रतिवादी No.10/Union के लिए।विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता

कनिका आहूजा, अधिवक्ता

अभिषेक सांघी, अधिवक्ता परमजीत सिंह साहोली बनाम हरियाणा राज्य

779

( राज मोहन सिंह, जे.)

गुरदास सरवारा, अधिवक्ता

और जितेंद्र खुराना, प्रतिवादी No.11 के लिए अधिवक्ता

राज मोहन सिंह**,** जे।

(1) याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्राथमिकता दी है, जिससे आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके अनुसार गुरमीत राम रहीम को प्रतिवादी-राज्य द्वारा फर्लो पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, विशेष रूप से जब पंजाब में विधानसभा चुनाव 20.02.2022 के लिए निर्धारित किए गए थे।

(2) वर्तमान याचिका 11.02.2022 पर दायर की गई थी और कुछ आपत्तियों को हटाने के बाद इसे 14.02.2022 पर फिर से दायर किया गया था।यह मामला 18.02.2022 पर सुनवाई के लिए आया।उस दिन नोटिस के साथ प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी:ठहरिए।मामले को 21.02.2022 पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। 21.02.2022 पर, मामले की सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि यह एक निर्धारित राज्य वकील को सौंपा गया था।मामला 23.02.2022 तक स्थगित कर दिया गया।स्थगित तिथि पर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले पर कुछ हद तक बहस की गई और उसके बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व निर्णय के आधार पर अपनी दलीलों को पूरा करने के लिए समय मांगा।अंततः इस न्यायालय के समक्ष 25.02.2022 पर बहस की गई और आदेश को सुरक्षित रखा गया।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी No.11 बलात्कार के मामले के साथ-साथ हत्या के मामले में भी सजा काट रहा है।वह कट्टर कैदी की श्रेणी में आता है और उसने छुट्टी देने के लिए आवश्यक अवधि पूरी नहीं की है।पंजाब में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले छुट्टी पर उनकी रिहाई पंजाब में विधानसभा चुनावों को भौतिक रूप से प्रभावित आदेश के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य है।

(4) दोषी गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराया गया और भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराध करने के लिए 10 साल के कारावास और 10,000/- के जुर्माने की

सजा सुनाई गई। इसी तरह की सजा भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 506 के तहत अपराध करने के संबंध में दी गई थी, जिसमें विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई., पंचकूला द्वारा भा.द.सं. सी. की धारा 376,506, भा.द.सं. सी. प्राथमिकी सी. बी./चंडीगढ़ के तहत आर. सी. संख्या 5 (एस)/(2002)/एस. आई. यू.-एक्स. वी./सी. एच. जी. दिनांक <आई. डी. 2 वाले मामले में भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 506 के तहत सजा का आदेश दिया गया था।दोनों सजाओं को लगातार चलाने का आदेश दिया गया था।(5) यह विवाद में नहीं है कि गुरमीत राम रहीम को आर. सी. 780 की प्राथमिकी वाले मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।



No.10 (S)/2003/SCB/CHG दिनांक 09.12.2003 भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के साथ पढ़ा जाता है, विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. अदालत, पंचकूला द्वारा 17.01.2019 पर पुलिस स्टेशन सी. बी. आई./एस. सी. बी./चंडीगढ़।गुरमीत राम रहीम को आर. सी. No.08 (एस)/2003/एस. सी. बी./सी. एच. जी. वाली प्राथमिकी आर. वाले मामले में भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी, भा.दं.सं. सी. की खंड 506, पुलिस स्टेशन सी. बी. आई./एस. सी. बी./चंडीगढ़ के तहत विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. अदालत, पंचकूला द्वारा 18.10.2021 पर दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।इन मामलों में आजीवन कारावास की उपरोक्त दोनों सजाएं बलात्कार मामले में गुरमीत राम रहीम को दी गई पहली सजा की समाप्ति के बाद शुरू होंगी।गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दो अन्य मामले अर्थात् भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी, 326,417,506, पुलिस स्टेशन एस. सी. बी., सी. बी. आई. चंडीगढ़, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, सी. बी. आई. अदालत, पंचकूला में लंबित है और वह उक्त मामले में जमानत पर है और भा.द.सं. सी. की धारा 380,295-ए, 201,414,451,120-बी, पुलिस स्टेशन बाजा खाना, जिला प्राथमिकी तहत भा.द.सं. सी. की धारा 380-ए, 201,414,451,120-बी के तहत भा.द.सं. सी. की धारा 380-ए, 201,414,451,451,451,451,4120-बी, जिसमें भा.दं.सं. सी. की धारा 120-ए, भा.दं.सं. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी. सी

(6) गुरमीत राम रहीम ने आवेदन दिनांक 17.01.2022 के माध्यम से 42 दिनों के लिए पैरोल देने के लिए आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन रोहतक जिला जेल के अधीक्षक द्वारा हरियाणा के जेल महानिदेशक के कार्यालय को पत्र No.277 दिनांक 19.01.2022

के माध्यम से भेजा गया था।इसके बाद, जेल महानिदेशक, हरियाणा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग से हरियाणा के जाने-माने महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने का अनुरोध किया था कि क्या दोषी गुरमीत राम रहीम कई मामलों में अपनी संलिप्तता को देखते हुए पैरोल का हकदार है।इंगित संदर्भ यह था कि क्या गुरमीत राम रहीम हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2013 की खंड 2 (एए) (आई) (8) के अनुसार कट्टर कैदी की श्रेणी में आता है।तैयार संदर्भ के लिए हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2013 की खंड 2 (एए) को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“(आ) "कट्टर कैदी" का अर्थ है एक व्यक्ति -

((i) जिसे दोषी ठहराया गया है -

(1) आई. पी. सी. की खंड 392 या 394 के तहत लूट;

(2) आईपीसी की खंड 395,396 या 397 के तहत डकैती;

(3) आईपीसी की खंड 364-ए के तहत फिरौती के लिए अपहरण;

(4) खंड 387 के तहत फिरौती या जबरन वसूली के लिए हत्या या हत्या का प्रयास खंड 387 के साथ पढ़ा जाता है या खंड 387 पढ़ा जाता है।

307 आई. पी. सी.;

(5) आई. पी. सी. की खंड 376 के साथ-साथ आई. पी. सी. की खंड 376 के तहत हत्या के साथ बलात्कार; परमजीत सिंह सहोली बनाम हरियाणा राज्य



(6) सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार;

(7) आई. पी. सी. की खंड 376-ए, 376-डी या 376-ई के तहत बलात्कार;

(8) अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्टों में दो या दो से अधिक मामलों में भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत सिलसिलेवार हत्या यानी हत्या;

(9) भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत हत्या, यदि अपराधी एक अनुबंध हत्यारा है जैसा कि मामले के फैसले में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है;

(10) जहां आई. पी. सी. की खंड 459 या 460 के तहत मृत्यु या गंभीर चोट लगी हो, वहां छिपे हुए घर में अतिचार या घर तोड़ना; (11) आई. पी. सी. की खंड 121 से 124-ए के तहत अपराध; (12) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की खंड 3,4 या 5 के तहत अनैतिक तस्करी, जिसमें नाबालिग शामिल हैं या आई. पी. सी. की खंड 366-ए, 366-बी, 372 या 373 के तहत;

(13) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केंद्रीय अधिनियम 61) की खंड 17 (सी) या 18 (बी) के तहत अपराध; या

(14) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केंद्रीय अधिनियम 32) की खंड 14 के तहत अपराध; या

((ख) जो अपनी दोषसिद्धि से ठीक पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान भा.दं.सं. सी. के अध्याय 12 या 18 में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दंडित किया गया है, उपरोक्त खंड (i) के तहत आने वाले अपराधों को छोड़कर, अलग-अलग अवसरों पर किया गया है जो एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं और इस तरह के दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप कम से कम बारह महीने की अवधि के लिए कारावास हुआ है;

बशर्ते कि पाँच वर्ष की अवधि की गणना करते समय, वास्तविक कारावास या निरोध की अवधि को बाहर रखा जाएगा;

बशर्ते कि यदि किसी दोषसिद्धि को अपील या संशोधन में दरकिनार कर दिया गया है, तो उसके संबंध में किए गए किसी भी कारावास को उपरोक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा; या

((ग) जिसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है; या

((iv) जिसे जेल परिसर के अंदर सेल फोन का उपयोग करने या सेल फोन/सिम कार्ड रखने का पता चला है; या 782



(v) जो उस तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहा, जिस दिन उसे इस अधिनियम के तहत उस अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करना चाहिए था, जिसके लिए उसे पहले रिहा किया गया थाः

बशर्ते कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अपराध को ऊपर उल्लिखित अपराधों की सूची में शामिल कर सकती है।" (7) महाधिवक्ता हरियाणा के कार्यालय ने सरकार को अपनी राय दी कि भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश के अपराध का उल्लेख अधिनियम की खंड 2 (ए. ए.) (आई) (8) में कहीं भी नहीं किया गया है जो "सिलसिलेवार हत्या" को परिभाषित करता है।इस प्रावधान में इस्तेमाल किया गया शब्द 'हत्या' है और कहीं भी किसी अन्य अपराध का उल्लेख नहीं है।यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधान का उद्देश्य 'कट्टर कैदी' की परिभाषा के तहत केवल 'वास्तविक हत्यारे' को शामिल करना है, न कि 'साजिशकर्ता' को।'कट्टर कैदी' की परिभाषा के तहत एक कैदी को शामिल करने के लिए, यह आवश्यक है कि उसने भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत हत्या के मूल अपराध के वास्तविक अपराध में भाग लिया होगा और भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध में सहायता करना 'कट्टर कैदी' की श्रेणी के तहत नहीं आएगा।ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जेल अधिकारी मानदंडों के अनुसार उसमें उल्लिखित आधारों पर पैरोल देने के लिए गुरमीत राम रहीम के प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकते हैं। हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए हरियाणा के महानिदेशक को भेज दिया गया था।विद्वान महाधिवक्ता हरियाणा से सूचना मिलने पर, जेल महानिदेशक, हरियाणा ने No.5350 दिनांकित 27.01.2022 पत्र के माध्यम से इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अधीक्षक, जिला जेल, रोहतक को भेज दिया।उस समय तक, गुरमीत राम रहीम ने छूट सहित 6 साल, 1 महीने और 20 दिनों की सजा पूरी कर ली थी और इसलिए, 31.01.2022 पर, गुरमीत राम रहीम ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए तीन सप्ताह की छुट्टी देने के लिए अधीक्षक जिला जेल, रोहतक में एक आवेदन दायर किया।

(8) महाधिवक्ता हरियाणा के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत राय को ध्यान में रखते हुए, जिला जेल, रोहतक के अधीक्षक ने पत्र No.488-91 दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की और इसे हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की खंड 4 के प्रावधान के अनुसार विचार के लिए संबंधित प्राधिकरण यानी जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम और रोहतक डिवीजन, रोहतक को भेजा।तैयार संदर्भ के लिए, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की खंड 4 को परमजीत सिंह सहोली बनाम हरियाणा राज्य के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

इसके नीचेः- “ 4.1 राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे अन्य अधिकारी के परामर्श से, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसी शर्तों और ऐसी रीति के अधीन, जो निर्धारित की जाए, किसी भी कैदी को अस्थायी रूप से, फर्लो पर रिहा कर सकता है, जिसे कम से कम चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और जिसे -

(क) अपनी अस्थायी रिहाई की तारीख से तुरंत पहले, तीन साल की अवधि के लिए निरंतर कारावास से गुज़रा है, जिसमें निरंतरता निरोध, यदि कोई हो;

(बी) ऐसी अवधि के दौरान कोई जेल अपराध नहीं किया है (एक चेतावनी द्वारा दंडित अपराध को छोड़कर) और कम से कम तीन वार्षिक अच्छे आचरण की छूट अर्जित की है;

बशर्ते कि इसमें कुछ भी एक ऐसे कैदी पर लागू नहीं होगा जो-(i) पंजाब आदतन अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1952 की खंड 2 की उप-खंड (3) में परिभाषित एक आदतन अपराधी है; या

((ख) डकैत या ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) उप-धारा (1) के तहत जिस छुट्टी की अवधि के लिए कोई कैदी पात्र है, वह उसकी रिहाई के पहले वर्ष के दौरान तीन सप्ताह और उसके बाद प्रत्येक क्रमिक वर्ष के दौरान दो सप्ताह होगी।

(3) खंड 8 की उप-खंड (3) के खंड (घ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उप-खंड (1) में निर्दिष्ट रिहाई की अवधि एक कैदी द्वारा दी गई सजा की कुल अवधि के रूप में गिनी जाएगी।”

(9) जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम ने अपने पत्र No.8978 दिनांक 01.02.2022 के माध्यम से रोहतक डिवीजन, रोहतक के आयुक्त को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी. आई. डी. ने आई. डी. 2 पर रहते हुए साप्ताहिक आधार पर गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के संदर्भ में रोहतक संभाग के आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी।आयुक्त, रोहतक प्रभाग, रोहतक दिनांक 07.02.2022 784 के आदेश के अनुसार

गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराने के लिए 21 दिनों की छुट्टी दी गई है।जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के आदेश No.9036/P.B दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से गुरमीत राम रहीम को फर्लो पर रिहा करने के लिए दो जमानत (प्रत्येक 5 लाख रुपये) स्वीकार किए।इस तरह, गुरमीत राम रहीम को 07.02.2022 से 27.02.2022 तक 21 दिनों के लिए जेल से छुट्टी पर रिहा कर दिया गया और उसे 28.02.2022 पर जेल परिसर में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।याचिकाकर्ता ने 08.02.2022 दिनांकित एक अभ्यावेदन भी दायर किया, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 11.02.2022 पर ई-मेल द्वारा से प्राप्त किया गया था।

(10) हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2013 की खंड 2 (एए) (आई) (8) के अवलोकन से पता चलेगा कि भा.दं.सं. की खंड 120-बी को अधिनियम की खंड 2 (एए) (आई) (8) में शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है।फर्लो केवल दीर्घकालिक कारावास में दिया जाता है यानी उन मामलों में जहां सजा 4 साल से कम नहीं है।पहला फर्लो 21 दिनों से अधिक होता है और उसके बाद, अधिकतम 14 दिनों के लिए।फर्लो वर्ष में केवल एक बार दिया जा सकता है और इसका उद्देश्य कारावास की एकरसता को तोड़ना है और फर्लो देने के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया जाना चाहिए।

(11) दाण्डिक अपीलीय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय No.1159

2021 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से बाहर निकलना 2021 का No.5699 शीर्षक स्टेट ऑफ

गुजरात और दूसरा बनाम नारायण @नारायण साई @मोटा भगवान आसाराम @असुमल हरपलानी ने **20.10.2021** पर फैसला किया है

पैरोल और फर्लो के लिए तैयार किए गए व्यापक सिद्धांत और उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

"(i) फर्लो और पैरोल हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना करते हैं;

(ii) जबकि कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सेवा के बाद फर्लो दी जा सकती है।

(iii) फर्लो का अनुदान कारावास की एकरसता को तोड़ने और दोषी को पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता और समाज के साथ एकीकरण बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए है; (iv) हालांकि फर्लो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, लेकिन कैदी को फर्लो का दावा करने का आत्यन्तिक कानूनी अधिकार नहीं है।

(v) फर्लो का अनुदान जनहित के खिलाफ संतुलित होना चाहिए और परमजीत सिंह सहोली बनाम हरियाणा राज्य की कुछ श्रेणियों को अस्वीकार किया जा सकता है।



कैदी।"

(12) तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता का मुख्य जोर यह है कि गुरमीत राम रहीम बलात्कार मामले में अभियोजन पक्ष-ए और अभियोजन पक्ष-बी में दोषी होने के कारण लगातार 10-10 साल की सजा काट रहा है।वह हत्या के दो और मामलों में भी शामिल है और इसलिए वह कट्टर कैदी की श्रेणी में आता है।

(13) दूसरी ओर, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2013 द्वारा संशोधित परिभाषा के बल पर प्रतिवादी के लिए राज्य के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गुरमीत राम रहीम भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत मूल अपराध का दोषी नहीं है, बल्कि उसे भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी की सहायता से सजा सुनाई गई है और उसका मामला हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) अमेंडमेंट एक्ट, 2013 की धारा 2 (ए. ए.) की किसी भी खंड में नहीं आता है।अलग-अलग एफ. आई. आर. में दो या दो से अधिक मामलों में भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत सिलसिलेवार हत्या यानी हत्या को आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि साजिशकर्ता भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत सीधे शामिल नहीं है, बल्कि उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी की सहायता से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दो हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा बलात्कार के मामले में दी गई उसकी पहली सजा की समाप्ति के बाद ही शुरू होगी, यानी अभियोजन-ए और अभियोजन-बी के तहत अपराध करने के लिए 10-10 साल की कैद और जुर्माना और ये सजाएं विशेष न्यायाधीश, सीबीआई अदालत, पंचकूला द्वारा तय किए गए पहले मामले में लगातार चलेंगी।हत्या के मामलों में सजा अभी तक शुरू नहीं हुई है।बाद में दोषसिद्धि को देखते हुए कट्टर कैदी की व्याख्या की सराहना की जानी चाहिए, इसलिए अधिनियम की खंड 2 (एए) (आई) में परिभाषा की सीमा पर गुरमीत राम रहीम की स्थिति इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती है कि बाद की सजाएं वास्तव में शुरू हुई हैं या नहीं।(14) अधिनियम हत्या के अपराध की पहचान करता है न कि हत्या की साजिश या उसे दुष्प्रेरण के लिए।गुरमीत राम रहीम की दोषसिद्धि सीधे भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत नहीं है, बल्कि भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी की सहायता से है। यदि विधायिका का इरादा कट्टर कैदी को परिभाषित

करने के उद्देश्य से भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के तहत अपराध में सहायता को शामिल करना होता, तो 2013 के संशोधन अधिनियम की भाषा पूरी तरह से अलग होती। इसे कट्टर कैदी की परिभाषा खंड में शामिल नहीं किया गया है।भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के मामलों को जानबूझकर बाहर रखा गया है और विधानमंडल उस स्थिति के प्रति बहुत जागरूक था, जिसमें भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी को बाहर रखा गया है। किसी अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों का उपयोग या व्याख्या शिथिल और अनुचित तरीके से नहीं की जा सकती है, बल्कि उन्हें सही अर्थ दिया जाना चाहिए, 786



इसका महत्व है और इसका सही और सटीक उपयोग किया जाना चाहिए।अधिनियम की खंड 2 (एए) (आई) की खंड 8, जिसका उपयोग अलग-अलग प्राथमिकियों में दो या दो से अधिक मामलों में भा.दं.सं. की खंड 302 के तहत हत्या के लिए किया जाता है, यह स्पष्ट करेगी कि भा.दं.सं. की खंड 302 के अलावा किसी अन्य खंड को कोई स्थान नहीं दिया गया है और न ही विधानमंडल द्वारा अपनी खंड में इस पर चर्चा की गई है।यह ध्यान दें प्रासंगिक होगा कि यदि विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई अस्पष्टता या चूक है, तो प्राधिकरण या न्यायालय इसे ठीक करने के लिए उसकी सहायता नहीं करेगा। दायरा और उपचार कहीं और निहित है, जब प्रावधान को ही चुनौती दी जाती है या स्थिति की व्याख्या के तहत किया जाता है।विधान-मंडल की व्याख्या उसकी वास्तविक भावना को समझने के तरीके से की जानी चाहिए और विधान-मंडल के इरादे को उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जिस तरह से इसे लिखा गया है।विधायिका के इरादे को सही मायने में समझने के लिए, पढ़ने को उपयोग किए गए शब्दों से एक साथ होना चाहिए।कुछ अधिनियमों और नीतियों में, विधानमंडल ने अपने विवेक में भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी को जघन्य अपराध में शामिल किया है, उदाहरण के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई समयपूर्व रिहाई नीति, 2013 के लिए दिशानिर्देशों में जघन्य अपराध की परिभाषा देते हुए, भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी का विशेष रूप से भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के साथ उल्लेख किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2013 के मामले में, उपयोग किए गए शब्द अलग हैं और उन्हें विधानमंडल द्वारा सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।न्यायालय को अपनी सुविधा के लिए कमी को सुधारने या उसे पूरा करने के लिए अपनी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए।विधानमंडल की सच्ची भावना को विधानमंडल द्वारा दिए गए तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।इसी तरह, हरियाणा सरकार ने अपनी समयपूर्व नीति दिनांक आई. डी. 1 में जघन्य अपराध की परिभाषा के लिए भा.दं.सं. सी. की खंड 120-बी के साथ

भा.दं.सं. सी. की खंड 307 का विशेष रूप से उल्लेख किया है।हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की खंड 25 के तहत, एक हत्यारे को विरासत प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है।चूँकि इरादा उकसाने वालों को भी शामिल करना था, भाषा स्पष्ट रूप से कहती है-"एक व्यक्ति जो हत्या करता है या हत्या करने के लिए उकसाता है"।पोटा 2002 के तहत, वास्तविक हमलावरों और साजिशकर्ता के बीच अंतर है जो हमलावर नहीं है।वास्तविक कर्ता (मृत्यु या जीवन) के लिए अधिनियम की खंड 3 (1) के तहत अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है, लेकिन केवल साजिशकर्ता (पांच साल से लेकर आजीवन कारावास) के लिए अधिनियम की खंड 3 (3) के तहत पूरी तरह से अलग सजा निर्धारित की गई है।चूँकि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) अमेंडमेंट एक्ट 2013 में केवल भा.दं.सं. सी. की आदेश 302 के तहत हत्या का उल्लेख है, इसलिए इसका मतलब है कि भा.दं.सं. सी. की आदेश 302 के तहत केवल हत्या सरल है और भा.दं.सं. सी. की आदेश 120-बी के तहत आरोपित व्यक्ति कट्टर कैदी की परिभाषा के तहत उसे शामिल करने का अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।



(15) स्पष्ट रूप से, विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम, 2013 की खंड 2 (एए) के संदर्भ में पूरे अधिनियम में भा.दं.सं. की खंड 120-बी या आपराधिक साजिश के अपराध पर कहीं भी थोड़ी, दूर से या संयुक्त रूप से चर्चा नहीं की है।अन्य खंडओं जैसे भा.दं.सं. सी. की खंड 387 को भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के साथ पढ़ा जाता है, खंड 387 को भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के साथ पढ़ा जाता है और भा.दं.सं. सी. की खंड 376 को भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के साथ पढ़ा जाता है।विधानमंडल भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 का उपयोग कर सकता था, लेकिन संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा 2 (ए. ए.) (आई) की खंड (8) में ऐसा कोई संयोजन नहीं दिखाया गया है।

(16) दूसरी ओर, 'सिलसिलेवार हत्या' या 'अनुबंध हत्या' के शब्दों का उपयोग निष्पादन के लिए यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में हत्या करने वाले वास्तविक अपराधी हैं, उन्हें कट्टर कैदी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।यदि हम धारा 2 (एए) (आई) की खंड (9) को पढ़ते हैं, जहां भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए, अनुबंध हत्यारा शब्द का उपयोग विधानमंडल द्वारा किया गया है।यदि अनुबंध हत्यारे की व्याख्या की जा सकती है, तो साजिशकर्ता शब्द का उपयोग विधानमंडल द्वारा

भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के साथ खंड (8) की भाषा में या सीरियल किलर के साथ भी किया जा सकता था, लेकिन विधानमंडल द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया है।

(17) जाहिर है, विधानमंडल का इरादा उन दोषियों को रिहा आदेश से रोकना होगा जो बाहर आने या रिहा होने के बाद, अपने मन को संतुष्ट आदेश के लिए फिर से सिलसिलेवार हत्या या अनुबंध हत्या जैसे अपराधों में लिप्त हो सकते हैं।उन धाराओं का आयात या निर्माण जो कम व्याख्या के माध्यम से अधिनियम का हिस्सा नहीं हैं, अधिनियम के प्रावधान के विपरीत होगा और इस प्रकार बिना शर्त, वही अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा।

(18) यह भी तय किया गया है कि यदि दो संभावित और उचित निर्माणों को दंडात्मक प्रावधान पर रखा जा सकता है, तो न्यायालय को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए, जो उस विषय को दंड से छूट देता है, न कि उस निर्माण की ओर, जो जुर्माना लगाता है।सरल शब्दों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए।इस धारणा के रूप में आगे बढ़ना वैध नहीं होगा कि विधानमंडल ने गलती की है।न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधानमंडल ने जो कहा है उसका उद्देश्य क्या है।यहां तक कि विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए वाक्यांश में कुछ दोष के मामले में भी, न्यायालय विधानमंडल के दोषपूर्ण वाक्यांश में सहायता नहीं कर सकता है या जोड़ और संशोधन नहीं कर सकता है या निर्माण द्वारा कमी को पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि इस तरह के अधिनियम के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जाती है।

(19) दंडात्मक प्रावधानों के निर्माण का तय नियम यह है कि यदि एक उचित व्याख्या है, जो दंड 788 से बच जाएगी।



किसी विशेष मामले में, न्यायालय को निर्माण को अपनाना चाहिए और यदि दो उचित निर्माण हैं, तो न्यायालय को अधिक उदार निर्माण देना चाहिए और यदि दो संभव और उचित निर्माणों को दंडात्मक प्रावधान पर रखा जा सकता है, तो न्यायालय को निर्माण की ओर झुकना चाहिए, जो विषय को दंड से छूट देता है, न कि जुर्माना लगाने वाले की ओर। पांडुरंग दगडू का उल्लेख किया जा सकता है।

पार्टी बनाम रामचंद्र बाबूराव हिरवे और अन्य**, 1** और संजय

दत्त बनाम राज्य, सीबीआई 2 द्वारा से।रिट याचिका के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से अनुरोध किया कि उसे वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने का अधिस्थिति है।दलीलें इस हद तक वांछित हैं कि विधानसभा चुनाव कैसे और किस तरह से पूर्वाग्रही रहा है, विशेष रूप से जब गुरमीत राम रहीम को केवल गुरुग्राम में रहने का आदेश दिया गया है।उनकी गतिविधियों के लिए सख्त नियम और शर्तें लागू की गई थीं और उनकी सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन की लगातार कड़ी नजर थी।रिट याचिका में विशेष विवरण के अभाव में, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता की चुनाव कार्यवाही को कैसे और किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, जिसने पंजाब में एक राजनीतिक दल से चुनाव भी लड़ा है।

(20) चूंकि गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए फर्लो दिया गया था और वह उसे पूरा कर चुका है और जेल परिसर में लौट आया है, इसलिए, इस स्तर पर, लगभग, रिट याचिका निष्फल हो गई है।मेरी सुविचारित राय में, प्रतिवादी-राज्य ने हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2013 की खंड 2 (एए) के महत्व की सही व्याख्या की है।चूँकि याचिकाकर्ता ने बलात्कार के मामले में सजा की मुद्रा के दौरान बाद की सजाओं के लागू होने का ऐसा कोई आधार नहीं रखा है, इसलिए राज्य के लिए यह उचित होगा कि वह कानून के अनुसार आगे की छुट्टी/पैरोल, यदि कोई हो, के उद्देश्य से सभी दोषसिद्धि से उत्पन्न होने वाले सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार करे।(21) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

रिपोर्टर

1 एस. सी. सी. 1997 ऑनलाइन बॉम्बे 131

2 बॉम्बे (II), एस. सी. सी. 1994 (5) एस. सी. सी. 410।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : गीता